

HARYANA VIDHAN SABHA

LIST OF BUSINESS FOR THE MEETING OF THE HARYANA VIDHAN SABHA TO BE HELD IN THE HALL OF THE HARYANA VIDHAN SABHA, VIDHAN BHAWAN, CHANDIGARH, ON FRIDAY, THE 4TH MARCH, 2022 AT 10.00 A.M.

I. QUESTIONS.

Questions entered in the separate list to be asked and answers given.

II. RESUMPTION OF GENERAL DISCUSSION ON THE GOVERNOR'S ADDRESS.

RESUMPTION of general discussion on the following motion moved by Shri Mahipal Dhanda, M.L.A. on the 3rd March, 2022, namely:-

“That an address be presented to the Governor in the following terms:-

‘That the Members of the Haryana Vidhan Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the Governor for the Address which he has been pleased to deliver to the House on the 2nd March, 2022 at 2.00 P.M.’”

III. PRESENTATION OF SUPPLEMENTARY ESTIMATES (THIRD INSTALMENT) FOR THE YEAR 2021-2022 AND THE REPORT OF THE ESTIMATES COMMITTEE THEREON.

- (i) THE FINANCE MINISTER to present the Supplementary Estimates (Third Instalment) 2021-2022.
- (ii) THE CHAIRPERSON, ESTIMATES COMMITTEE to present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates (Third Instalment) 2021-2022.

IV. SUPPLEMENTARY ESTIMATES (THIRD INSTALMENT) 2021-2022.

1. Discussion on the Estimates of expenditure charged on the revenue of the State.
2. Discussion and Voting on the Demands for Supplementary Grants.

Demand No. 03	A MINISTER	to move that a supplementary sum not exceeding ₹1,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31 st March, 2022 in respect of <u>Demand No. 03- General Administration</u>	Supplementary Estimates 2021-22 (3 rd Installment)
Demand No. 06	A MINISTER	to move that a supplementary sum not exceeding ₹868,45,11,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31 st March, 2022 in respect of <u>Demand No. 6-Finance.</u>	Supplementary Estimates 2021-22 (3 rd Installment)
Demand No. 15	A MINISTER	to move that a supplementary sum not exceeding ₹1,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31 st March, 2022 in respect of <u>Demand No. 15-Local Government.</u>	Supplementary Estimates 2021-22 (3 rd Installment)

Demand No. 19	A MINISTER	to move that a supplementary sum not exceeding ₹1,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31 st March, 2022 in respect of <u>Demand No. 19-Welfare for SCs and BCs</u>	Supplementary Estimates 2021-22 (3 rd Installment)
Demand No. 20	A MINISTER	to move that a supplementary sum not exceeding ₹900,00,00,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31 st March, 2022 in respect of <u>Demand No. 20-Social Security and Welfare</u>	Supplementary Estimates 2021-22 (3 rd Installment)
Demand No. 27	A MINISTER	to move that a supplementary sum not exceeding ₹4,000/- for revenue expenditure and ₹2,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31 st March, 2022 in respect of <u>Demand No. 27-Agriculture</u>	Supplementary Estimates 2021-22 (3 rd Installment)
Demand No. 28	A MINISTER	to move that a supplementary sum not exceeding ₹3,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31 st March, 2022 in respect of <u>Demand No. 28- Animal Husbandry</u>	Supplementary Estimates 2021-22 (3 rd Installment)
Demand No. 32	A MINISTER	to move that a supplementary sum not exceeding ₹1,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31 st March, 2022 in respect of <u>Demand No. 32- Rural & Community Development</u>	Supplementary Estimates 2021-22 (3 rd Installment)
Demand No. 35	A MINISTER	to move that a supplementary sum not exceeding ₹2,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31 st March, 2022 in respect of <u>Demand No. 35-Tourism.</u>	Supplementary Estimates 2021-22 (3 rd Installment)

V. MOTION UNDER RULE 121.

A MINISTER

to move that the provisions of Rules 231, 233, 235 and 266 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly in-so-far as they relate to the constitution of the :-

- i) Committee on Public Accounts;
- ii) Committee on Estimates;
- iii) Committee on Public Undertakings; and
- iv) Committee on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes & Backward Classes for the year 2022-2023 be suspended.

ALSO to move:-

“that this House authorizes the Speaker, Haryana Vidhan Sabha, to nominate the Members of the aforesaid Committees for the year 2022-2023, keeping in view the proportionate strength of various parties/groups in the House”.

VI. LEGISLATIVE BUSINESS.

(Bills to be introduced)

- | | | |
|---|------------|--|
| 1. The Haryana Prevention of Unlawful Conversion of Religion Bill, 2022 | A MINISTER | to move for leave to introduce the Haryana Prevention of Unlawful Conversion of Religion Bill; |
| | | Also to introduce the Bill. |
| 2. The Haryana Prohibition of Change of Public Utilities Bill, 2022 | A MINISTER | to move for leave to introduce the Haryana Prohibition of Change of Public Utilities Bill; |
| | | Also to introduce the Bill. |

**CHANDIGARH:
THE 3RD MARCH, 2022.**

**RAJENDER KUMAR NANDAL,
SECRETARY.**

हरियाणा विधान सभा

शुक्रवार, 4 मार्च, 2022 को 10.00 बजे प्रातः विधान भवन, चण्डीगढ़ में हरियाणा विधान सभा के हाल में होने वाली हरियाणा विधान सभा की बैठक की कार्यसूची।

I. प्रश्न

पृथक सूची में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उत्तर दिए जाएंगे।

II. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भण।

3 मार्च, 2022 को श्री महिपाल ढांडा, एम.एल.ए. द्वारा प्रस्तुत किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भण, अर्थात्:—

“कि राज्यपाल महोदय को एक समावेदन निम्नलिखित शब्दों में पेश किया जाए:—

‘कि इस सत्र में इकट्ठे हुए हरियाणा विधान सभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिए राज्यपाल महोदय के अत्यन्त कृतज्ञ हैं जो उन्होंने 2 मार्च, 2022 को 2.00 बजे मध्याह्न-पश्चात् सदन में देने की कृपा की है।’”

III. 2021-2022 के लिए अनुपूरक अनुमान (तीसरी किस्त) तथा उन पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना

- | | | |
|------|-------------------------------|--|
| (i) | वित्त मंत्री | 2021-2022 के लिए अनुपूरक अनुमान (तीसरी किस्त) प्रस्तुत करेंगे। |
| (ii) | चेयरपर्सन,
प्राक्कलन समिति | 2021-2022 के लिए अनुपूरक अनुमान (तीसरी किस्त) पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। |

IV. 2021-2022 के अनुपूरक अनुमान (तीसरी किस्त)

- राज्य के राजस्व पर प्रभारित व्यय के अनुमानों पर चर्चा।
- अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान।

मांग संख्या 3	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए 1,000 रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या 3-सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2021-2022 (तीसरी किस्त)
मांग संख्या 6	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 868,45,11,000 रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या 6-वित्त के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2021-2022 (तीसरी किस्त)

मांग संख्या 15	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए 1,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या 15—स्थानीय शासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2021—2022 (तीसरी किस्त)
मांग संख्या 19	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 1,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या 19—अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2021—2022 (तीसरी किस्त)
मांग संख्या 20	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 900,00,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या 20—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2021—2022 (तीसरी किस्त)
मांग संख्या 27	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 4,000 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 2,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या 27—कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2021—2022 (तीसरी किस्त)
मांग संख्या 28	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए 3,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या 28— पशु पालन तथा डेयरी विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2021—2022 (तीसरी किस्त)
मांग संख्या 32	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए 1,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या 32—ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2021—2022 (तीसरी किस्त)

मांग संख्या 35 एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 2,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या 35-पर्यटन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए। अनुपूरक अनुमान 2021-2022 (तीसरी किस्त)

V. नियम 121 के अधीन प्रस्ताव

एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231, 233, 235 तथा 266 के उपबंध जहां तक कि वे :-

- i) लोक लेखा समिति ;
- ii) प्राक्कलन समिति ;
- iii) लोक उपक्रमों संबंधी समिति ; तथा
- iv) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए समिति के गठन से संबंधित हैं, को वर्ष 2022-2023 के लिए निलंबित किया जाए।

यह भी प्रस्ताव करेंगे:-

“कि यह सदन, अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा को प्राधिकृत करता है कि वह सदन में विभिन्न दलों/ग्रुपों की अनुपातिक संख्या को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2022-2023 के लिए पूर्वोक्त समितियों के सदस्यों को नामजद करें”।

VI. विधान कार्य

(पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक)

1. हरियाणा विधिविरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक, 2022 एक मंत्री हरियाणा विधिविरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करेंगे; विधेयक पुरःस्थापित भी करेंगे;
2. हरियाणा लोकोपयोगिताओं के परिवर्तन का प्रतिषेध विधेयक, 2022 एक मंत्री हरियाणा लोकोपयोगिताओं के परिवर्तन का प्रतिषेध विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करेंगे; विधेयक पुरःस्थापित भी करेंगे;

चण्डीगढ़:
3 मार्च, 2022.

राजेन्द्र कुमार नांदल,
सचिव।